Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI)

➢ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में "आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन" (CDRI, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक "आपदा जोखिम और लचीलापन मूल्यांकन ढांचा (DRRAF) विकसित करने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया है।
- यह अध्ययन दूरसंचार विभाग (DoT) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA, National Disaster Management Authority) के सहयोग से किया गया था।
- CDRI वेबसाइट के अनुसार भारत में 58% से अधिक भूमि भूकंप, 12% भूमि बाढ़, 15% भूमि भूस्खलन और 10% भूमि वन आग (Forest Fire) के लिए संवेदनशील है।
- इसके अलावा भारत के 7,516 किलोमीटर तटीय क्षेत्र का लगभग 5,700 किलोमीटर क्षेत्र तूफान और सुनामी के लिए संवेदनशील है।
- चूंकि भारत में "दूरसंचार" पूरे देश में फैला एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा के रूप में फैला हुआ है, इसलिए यह बुनियादी ढांचा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, जंगली आग, तूफान और सुनामी के लिए अति संवेदनशील रहता है।

➢ आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) :

- आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) विभिन्न देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों का एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है।
- CDRI की स्थापना वर्ष 2019 में भारत की पहल पर वर्ष 2019 के "संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन" के दौरान की गई थी।
- CDRI का मुख्य उद्देश्य अपने प्रमुख बुनियादी ढांचे जैसे राजमार्गों, रेलवे, पावर स्टेशनों, संचार लाइनों, जल चैनलों एवं आवास की प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ रक्षा के लिए एक–दूसरे के अनुभवों को साझा करने और सीखने के लिए देशों को एक साथ लाने का एक प्रयास है।
- इसके अलावा CDRI का उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति नई और मौजूदा बुनियादी ढांचे प्रणालियों की लचीलापन को बढ़ावा देना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
- CDRI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- आपदा तैयारियों और बुनियादी ढांचे का निर्माण काफी हद तक राष्ट्रीय प्रयास होता है लेकिन आधुनिक बुनियादी ढांचा एक नेटवर्क सिस्टम का वेब है जो राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं है।
- पिछले कुछ वर्षों से ट्रांस नेशनल और ट्रांस–कॉन्टिनेंटल हाईवे और रेलवे सहित ट्रांसमिशन लाइनें विभिन्न देशों में बिजली ले जाने के लिए तेजी से इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है।
- इन सबमें किसी भी एक नोड को नुकसान पूरे नेटवर्क पर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जिसके परिणामस्वरुप आजीविका का नुकसान सहित आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न करता है।
- CDRI के रूप में भारतीय पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य पूरे नेटवर्क को लचीला बनाना है।

- CDRI बुनियादी ढांचा परियोजना की योजना बनाने या निष्पादित करने के लिए नहीं है और न ही एक ऐसी एजेंसी है जो सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का वित्त पोषण करती है।
- CDRI मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की क्षमता निर्माण तक पहुंच प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्रबंधन से संबंधित डिजाइन, प्रक्रियाओं और नियमों के मानकीकरण की दिशा में काम करता है।
- CDRI के अनुमानों के अनुसार इस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ने मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे को अधिक लचीलापन बनाने में अगर एक डॉलर का निवेश किया तो इससे आपदा स्ट्राइक होने पर लगभग चार डॉलर से अधिक के नुकसान होने से बचा जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे का लचीलापन बनाने का तात्पर्य इसे उच्च गुणवत्ता, भरोसेमंद और टिकाऊ सेवाओं के रूप में परिवर्तित करना है।
- CDRI के तहत प्रमुख पहलों में से एक "लचीला द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा" (IRIS)है जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में COP–26 में लॉन्च किया गया था।
- छोटे द्वीप राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए सबसे कमजोर है जिनमें समुद्र का स्तर का बढ़ना सबसे प्रमुख है।
- CDRI के अनुसार इन छोटे द्वीप राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन आपदाओं के कारण अपनी जीडीपी (GDP) का लगभग 9% खो दिया है।

➢ आपदा प्रबंधन बिल–2024 :

- पिछले वर्ष दिसंबर में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 का संशोधन रूप आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक–2024 लोकसभा में पारित किया गया।
- इस अधिनियम ने आपदा प्रबंधन के लिए एक वैधानिक निकाय "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" (NDMA) के गठन का प्रावधान किया।
- NDMA का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा जो भारत में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीललम्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

- आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 को 2004 के विनाशकारी सुनामी के बाद लाया गया था।
- इस अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर SDMA, राष्ट्रीय स्तर पर NDMA, एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (NIDM) का निर्माण किया गया।
- ये सभी आपदा प्रबंधन से जुड़ी संस्थानें आपदा से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए था।
- इस अधिनियम के बाद वर्ष 2009 में एक "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति" और वर्ष 2016 में एक "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना" बनाई गई।
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक–2024 ने नगर पालिका आयुक्त की अध्यक्षता में "शहरी आपदा प्रबंधन अधिकारियों" को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
- "शहरी आपदा प्रबंधन अधिकारी" बड़े महानगरीय शहरों में शहरी बाढ़ जैसे शहर–स्तरीय आपदाओं के प्रति एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण रखने में मदद कर सकता है।
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक–2024 में "राज्य आपदा राहत कोष" (SDRF) जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के तहत गठित किया गया था, को सभी राज्यों के लिए अनिवार्य रूप से गठित करना बना दिया गया है।
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक–2024 "राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति" को कानूनी स्थिति प्रदान करता है।
- इस विधेयक के तहत NDMA को आपदा आकलन, फंड आवंटन, व्यय और तैयारी शमन योजनाओं के बारे में जानकारी मुक्त राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस बनाने और इसे संरक्षित रखने का काम सौंपा गया है।
- "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" (NDMA) आपदाओं से प्रभावित लोगों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा–निर्देशों की सलाह देता है।
- इस भाषाई जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी की 43.6 प्रतिशत आबादी (52.8 करोड़ लोग) ने अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी को चुना।
- हिंदी के बाद भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा बंगाली है जो देश के लगभग 9.7 करोड़ लोगों (8 प्रतिशत) द्वारा बोली जाती है।

- इस भाषाई जनगणना में हिंदी भाषा जानने वाले लोगों के संदर्भ में लगभग 13.2 करोड़ लोगों (11 प्रतिशत) ने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में चुना।
- इस प्रकार भारत में हिंदी जानने वाले लोगों की कुल आबादी लगभग 55% है।

➢ मुंशी अयंगर फार्मूला और हिंदी दिवस :

- प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को "हिंदी दिवस" के रूप में मनाया जाता है।
- भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना।
- भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू के साथ हिंदी और संस्कृत को भी प्रस्तावित किया गया था।
- मुंशी–अयंगर फार्मूला का नाम इस समिति के सदस्य के एम मुंशी और एन गोपालास्वामी अयंगर के नाम पर रखा गया था।
- मुंशी–अयंगर फार्मूले के हिस्से के रूप में वर्ष 1950 में अपनाए गए संविधान के अनुच्छेद–343 में निम्न बातें कही गई–

1. संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।
2. संविधान के शुरू होने से 15 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

- जब 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तो गैर–हिंदी बोलने वाले भारत के बड़े हिस्सों में विशेष रूप से तमिलनाडु में हिंदी को थोपने के डर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।
- इस विरोध के परिणामस्वरुप केंद्र सरकार द्वारा "आधिकारिक भाषा अधिनियम" पारित किया गया।
- इस अधिनियम में कहा गया कि अंग्रेजी को हिंदी के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में बरकरार रखा जाएगा।

हम आपको रिजल्ट देने आये हैं.

Result Mitra

1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.

2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹

3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹

4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹

5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹

कोर्स या Test Series के लिए

WhatssApp कीजिये

9235313184, 9235446806